फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भमरीबाई **विपक्षी : श्री दीपा**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 82/22**

जीसीएमएस : 2022/318

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 30.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 3 से 5 का जवाब पूर्व में पेश किया जा चुका हैं जो शामिल फाईल हैं। रेकार्ड पर लिया जाता हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा खेमली पटवार हल्का खेमली तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 237 पर दर्ज आराजी नम्बर 876, 877, 880 किता 3 कुल रकबा 0.6556 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 238 पर दर्ज आराजी नम्बर 4702/887, 882, 888, 889 किता 4 कुल रकबा 0.4047 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। चूंकि वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण मौके पर नया निर्माण कार्य कर लेता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। प्रकरण में पूर्व में विपक्षीगण को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया हुआ है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक आंशिक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है जिससे वाद में किसी प्रकार की कोई कानूनी पैचिदगीया उत्पन्न ना हों। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेमली पटवार हल्का खेमली तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 237 पर दर्ज आराजी नम्बर 876, 877, 880 किता 3 कुल रकबा 0.6556 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 238 पर दर्ज आराजी नम्बर 4702/887, 882, 888, 889 किता 4 कुल रकबा 0.4047 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:10 IST
Reason: SelfAttested